



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 2167]
No. 2167]नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2012/कार्तिक 7, 1934
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2012/KARTIKA 7, 1934

पर्यावरण एवं बन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2611(अ)—केन्द्रीय सरकार, जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर सरकार के परामर्श से मणिपुर राज्य के निम्न तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध ऐसे पौधों और पशुओं की प्रजातियां, जो लुप्त होने के कागार पर हैं, को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

तालिका

क्रम संख्या	पौधों के नाम
(1)	(2)
1	लीलियम डेविडी डच.एक्स एलिवस
2	कालन्घू रोजियस सी.बी. क्लार्क
3	रोडोडेन्ड्रान माकाबिएनम वाट एक्स बाल्फ.एफ.
4	मैलस बर्काटा (एल.)बोर्च
5	रोडोडेन्ड्रान वाटाई कोवान
पशुओं के नाम	
1	राइनोसिरॉस सोनडियाक्स डैस्मारेस्ट, 1822
2	डाइसिरोराइन्स सुमात्राइंसिस (फिसर, 1814)
3	सरवस एल्डी (मैक क्लीलैंड)
4	आरडिया इनसिग्निस द्यूम, 1878
5	जिप्स बैंगालैंसिस (जिमलिन, 1788)
6	सारकोजिप्स कैल्वस (स्कोपोली, 1786)

2. तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही मणिपुर राज्य जैव-विविधता बोर्ड के अनुमोदन के अलावा प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान;

- (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति-संग्रहालय और संग्रहालय;
 (ग) प्रचार; और
 (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. मणिपुर राज्य जैव-विविधता बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (i) समग्र तालमेल के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
 (ii) यथावत और पूर्ववत संरक्षण तथा पुनर्गास के प्रयोजन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
 (iii) वन विभाग के कार्मिक, जैव-विविधता प्रबंधन समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और
 वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
 करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-III]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2012

S.O. 2611(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Manipur, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Manipur, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of the Plants
(1)	(2)
1	<i>Lilium daidii</i> Duch. Ex Elwes
2	<i>Kalanchoe roseus</i> C.B.Clarke
3	<i>Rhododendron macabeanum</i> Watt ex Balf. f.
4	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.
5	<i>Rhododendron wattii</i> Cowan
Name of the Animals	
1	<i>Rhinoceros sondaicus</i> Desmarest, 1822
2	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i> (Fischer, 1814)
3	<i>Cervus eldi eldi</i> (McClelland)
4	<i>Ardea insignis</i> Hume, 1878
5	<i>Gyps bengalensis</i> (Gmelin, 1788)
6	<i>Sarcogyps calvus</i> (Scopoli, 1786)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Manipur State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely:-

- (a) scientific research;
- (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;
- (c) propagation; and
- (d) any other scientific investigation

3. The Manipur State Biodiversity Board shall undertake:-

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
- (ii) propagation of the notified species for the purpose of in situ and ex situ conservation and rehabilitation; and
- (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

HEM PANDE, Jt. Secy.